

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941

No. 730]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 937(ब).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80 जञकक की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (15वां संशोधन) नियम, 2019 है।
- 2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. आय-कर नियम, 1962 में उपाबंध 2 में "प्ररूप 10घक" के स्थान पर निम्नलिखित "प्ररूप" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 10घक

[नियम 19कख देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ञञकक के अधीन रिपोर्ट

- 1. मैंने/ हमने * 31 मार्च, ------को समाप्त हुए वर्ष के दौरान------के कारबार में लगे निर्धारिती ------(स्थायी खाता संख्यांक सहित निर्धारिती का नाम और पता) के लेखाओं और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है ।
- 2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं* कि निर्धारण वर्ष-----की बाबत आयकर अधिनियम 1961 की धारा ञञकक की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा किए जाने वाली कटौती ------रुपए है, जिसका अवधारण पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती

6519 GI/2019 (1)

द्वारा उक्त कारबार की दशा में उपगत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के आधार पर किया गया है । उक्त रकम इस प्ररूप को उपाबंध में दिए गए ब्यौरों के आधार पर निकाली गई है ।

स्थान	
तारीख	

(लेखपाल के हस्ताक्षर और मुद्रा)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पूरा पता
सदस्यता संख्या

टिप्पण:

- 1. *जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।
- 2. यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 32) के अर्थांतर्गत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन विधिमान्य व्यवसाय प्रमाण पत्र है और जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है।
- 3. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित बात का उत्तर नकारात्मक है या कोई शर्त लगाकर दिया गया है तो उसके लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।

उपाबंध (प्ररूप 10घक का पैरा 2 देखिए)

				(प्ररूप 10यक का परा 2 दाखए)			
1.	निर्धानि	रेती का	नाम				
2.	निर्धानि	रेती का प	पता				
3.	निर्धारि	रेती का	स्थार्य	खाता संख्यांककआधार संख्यां/			
4.	निर्धार	ण वर्ष					
5.	अतिरि	क्त कर्म	चारी	उपगत लागत			
	(1)	किसी वि	्च चिमा	न कारबार की दशा में			
		(क)	पूर्वव	िंवर्ष के अंतिम दिन को कर्मचारी की संख्या			
		(ख)	पूर्व व	र्ष के दौरान नियोजित कर्मचारी की संख्या			
			•	तिरिक्त अधिकारियों की संख्या** जिनकी उपलब्धियां धारा 80 ञञकक [े] गत्र हैं :-	के अधीन कट	प्रौती के	
			(i)	पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित	ग(i)		
			(ii)	तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित	ग(ii)		
			(iii)	कुल [ग(i)+ ग(ii)]		ग(iii)	
				लिखित के संबंध में, अतिरिक्त कर्मचारी को संदत्त या संदेय उपलब्धियों** क अधीन कटौती की हकदार है,-	की कुल रकम	। जो धारा	
			(i)	(ग)(i) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(i)		

	((ii)	(ग)(ii) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(ii)	
	((iii)	कुल रकम #[घ(i)+ घ(ii)]		घ (iii)
	(3.)		लेखित के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों को संदेय या संदत्त उपलब्धियों वे 80ञञकक के अधीन कटौती के लिए पात्र कुल रकम,-	त संदाय के सं	बंध में
	((i)	पूर्व वर्ष [(घ) (iii) में संगणित रकम का प्रतिशत 30]	ड. (i)	
	((ii)	पूर्व वर्ष का तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष	ड. (ii)	
	((iii)	पूर्व वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के पहले का वर्ष	ड. (iii)	
	((iv)	कुल[ड. (i) + ड. (ii) +ड. (iii)]#		ड.(iv)
II		•	बार की दशा में, कारबार के प्रथम वर्ष# के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्म धेयों** की रकम का 30 प्रतिशत,	चारियों को	संदत्त या
6.	टिप्पणिय	गं			

टिप्पण:

- 1. * "अतिरिक्त कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसके नियोजन से नियोजक द्वारा पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,-
- (क) ऐसा कर्मचारी जिसकी कुल उपलब्धियां पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास से अधिक हैं ;या
- (ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए संपूर्ण अभिदाय का कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदाय किया जाता है;या
- (ग) पूर्व वर्ष के दौरान दो सौ और चालीस दिवस से कम की अवधि के लिए (परिधान के विनिर्माण के कारबार में लगे किसी निर्धारिती की दशा में एक सौ पचास दिवस) नियोजित कोई कर्मचारी ;या
- (घ) ऐसा कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में सहभागी नहीं है।
- 2. ** "उपलब्धियां" से किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के बदले में उसे संदत्त या संदेय कोई धनराशि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है:-
- (क) नियोजक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिए किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संदत्त या संदेय कोई अभिदाय; और
- (ख) किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के पर्यवसान या अधिवर्षिता या स्वैच्छया निवृत्ति के समय संदत्त या संदेय उपदान, पृथक्करण वेतन, अवकाश नकदीकरण, स्वैच्छया निवृत्ति संबंधी फायदे, पेंशन का सरांशिकरण और वैसा ही कोई अन्य एकमुश्त संदाय ।
- 3. # रकम में खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से किसी इलैक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली द्वारा या किसी अन्य विहित इलैक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से भिन्न संदत्त उपलब्धियां सम्मलित नहीं होगी ।,"

[अधिसूचना सं. 104/2019/फा.सं.370142/28/2019-टीपीएल]

जावेद अख्तर, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.िन.858(अ), तारीख 18.11.2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

INCOME-TAX

- **G.S.R. 937(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 80JJAA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1.Short title and commencement:-_(1) These rules may be called the Income –tax (15th Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in APPENDIX II, for 'Form No. 10DA', the following 'Form' shall be substituted, namely:-

'FORM NO. 10DA

[See rule 19AB]

Report under section 80JJAA of the Income-tax Act, 1961

1.	I/ We* have examined the accounts and records of(Name and address of the assessee
with P	ermanent Account Number/Aadhaar number) engaged in the business of
of	during the year ended on 31st day of March
Incom determ	I/We* certify that the deduction to be claimed by the assessee under sub-section (1) of section 80JJAA of e-tax Act, 1961, in respect of the assessment year is Rs inded on the basis of additional employee cost incurred in the case of said business by the assessee. The said at that been worked out on the basis of details given in Annexure to this form.
Pla	ce:
Dat	e:
	(Signature and Stamp/Seal of the Accountant)
	Name of the Signatory
	Full Address
	Membership No

Notes:

- 1. *Delete whichever is not applicable.
- 2. This report is to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act,1949 who holds a valid certificate of practice under section 6(1) of that Act and is not a person referred to in clause (a) or clause (b) of the *Explanation* below sub-section (2) of section 288.
- 3. Where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

ANNEXURE

(See paragraph 2 of Form No.10DA)

1.	Nan	ne of the assessee	
2.	Add	dress of the assessee	
3.	Peri	manent Account Number/ Aadhaar number of the assessee	
4.	Asses	ssment Year	
5.	Addi	tional employee cost incurred	
	(I)	In case of an existing business,-	
		(a) number of employee as on the last day of the immediately preceding year.	

	(b)	numbe	er of employee employed during the previous ye	ear.		
	(c)		er of additional employees*, the emoluments section 80JJAA,-	of whom	is eligible for deduction	
		(i)	employed during the previous year,	c(i)		
		(ii)	employed during the immediately preceding year	c(ii)		
		(iii)	Total [c(i)+c(ii)]	I.	c(iii)	
	(d)		amount of emoluments ** paid or payable to tion u/s 80JJAA in respect of,-	o additio	nal employee entitled for	
		(i)	additional employee referred in (c)(i)	d(i)		
		(ii)	additional employee referred in (c)(ii)	d(ii)		
		(iii)	Total amount # [d(i)+d(ii)]		d(iii)	
	(e)		mount of deduction eligible u/s 80JJAA in respect r payable to the additional employee in respect		ments for the emoluments	
		(i)	the previous year [30% of the amount computed in (d)(iii)]	e(i)		
		(ii)	the immediately preceding year to the previous year	e(ii)		
		(iii)	the year prior to the immediately preceding previous year	e(iii)		
		(iv)	Total [e(i)+e(ii)+ e(iii)]#	I	e(iv)	
	I In case of a new business, 30% of emoluments **paid or payable to additional employees employed during the first year of business,#.					
II						

Notes:

- 1.* "additional employee" means an employee who has been employed during the previous year or in the immediately preceding year, as the case may be, but does not include,—
- (a) an employee whose total emoluments are more than twenty-five thousand rupees per month; or
- (b) an employee for whom the entire contribution is paid by the Government under the Employees' Pension Scheme notified in accordance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or
- (c) an employee employed for a period of less than two hundred and forty days(one hundred and fifty days in case of an assess engaged in business of manufacturing of apparel or footwear or leather products) during the previous year ;or
- (d) an employee who does not participate in the recognised provident fund.
- 2.** "emoluments" means any sum paid or payable to an employee in lieu of his employment by whatever name called, but does not include—
 - (a) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or any other fund for the benefit of the employee under any law for the time being in force; and
 - (b) any lump-sum payment paid or payable to an employee at the time of termination of his service or

superannuation or voluntary retirement, such as gratuity, severance pay, leaves encashment, voluntary retrenchment benefits, commutation of pension and the like.

3. # The amount shall not include the emoluments, paid otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or by way of a electronic clearing system through a bank account or through such other prescribed electronic mode. '.

[Notification No. 104/2019/F.No. 370142/28/2019-TPL] JAVED AKHTAR, Director (Tax Policy & Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii), Vide Number S.O. 969(E), dated the 26th March,1962, and last amended vide notification number G.S.R. 858(E), Dated 18.11.2019.